संख्या: 32/2017/289/छप्पन-2017-23/2011

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2017

विषय: जनपद वाराणसी के बाबतपुर में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-219/2012 (कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम सचिन्द्र नारायण सिंह) में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2017 के अनुपालन में डिक्री की धनराशि का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-714-17/ना0उ0नि0/2017, दिनांक 28.02.2017 के साथ संलग्न विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी के पत्र संख्या-421/आठ/वि0भू0अ0अ0(सं0सं0), दिनांक 25.02.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि जनपद वाराणसी के बाबतपुर स्थित हवाई अड्डे के विस्तार हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के विरूद्ध मा0 अपर जिला जज, वाराणसी के न्यायालय में 8 एल0ए0 वाद योजित हुए थे, जिनका निर्णय वर्ष 2009 में हुआ था। इन निर्णयों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रथम अपील के रूप में 8 अपीलें वर्ष 2012 में योजित की गयी थी, जिनमें 04 अपीलें प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-212/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम शिष्ट नरायण सिंह, प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-215/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम जगदीश नारायण, प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-216/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम कौशल कुमार सिंह एवं प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-217/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम राधे श्याम आदि में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.10.2013 को अन्तरिम आदेश पारित किये गये, जिसके अनुपालन में जिला प्रशासन, वाराणसी द्वारा दिये गये गणना प्रपत्र के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की गयी और तदनुसार मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवगत कराया गया था। इसके अतिरिक्त पांचवीं प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-214/2012 कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम दया शंकर सिंह में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2016 के अनुसार वर्ष 2017 में भुगतान की कार्यवाही जिला प्रशासन, वाराणसी द्वारा प्रशस्त है। इस प्रकार 08 अपीलों में से अब तक 05 की कार्यवाही हो चुकी है।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शेष 03 प्रथम अपीलों यथा सं0-213/2012 स्टेट बनाम सुमित्रा देवी, सं0-218/2012 स्टेट बनाम रमेश सिंह तथा सं0-219/2012 स्टेट बनाम सचिन्द्र नारायण सिंह में से प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-219/2012 कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम सचिन्द्र नारायण सिंह में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2017 को अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं जिसमें 2 माह के भीतर विपक्षी को भुगतान करने के आदेश दिये गये हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी से पत्र संख्या-421/आठ/वि0भू0अ0अ0(सं0सं0), दिनांक 28.02.2017 के माध्यम से प्राप्त गणना प्रपत्र के अनुसार डिक्रीटल धनराशि (ब्याज सहित) रूपये 17,58,547/- (रूपया सत्रह लाख अट्ठावन हजार पांच सौ सैंतालिस मात्र) आगणित की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त धनराशि दो माह में जमा किया जाना है।

3- वर्णित स्थिति में उक्त पत्र दिनांक 28.02.2017 में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-219/2012 (कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम सचिन्द्र नारायण सिंह) में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2017 के आलोक में डिक्री की धनराशि रूपये 17,58,547/- (रूपया सत्रह लाख अट्ठावन हजार पांच सौ सैंतालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति समयान्तर्गत प्रदान करते हुए उक्त धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। जिलाधिकारी, वाराणसी स्वीकृत धनराशि आहरित कर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में जमा करने की कार्यवाही करेंगे।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील डिपेक्टिव संख्या-219/2012 (कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम सचिन्द्र नारायण सिंह) में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2017 के अनुपालनार्थ डिक्री की धनराशि रूपये 17,58,547/- (रूपये सत्रह लाख अट्ठावन हजार पांच सौ सैंतालिस मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- स्वीकृत धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिलाधिकारी, वाराणसी स्वीकृत धनराशि आहरित कर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में जमा करने की कार्यवाही करेंगे।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या: 32/2017/289(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वाराणसी।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्याप्ति) सं0सं0, वाराणसी।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- न्याय अनुभाग-6
8- समीक्षा अधिकारी (बजट), नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ0प्र0, सचिवालय।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।